



# उत्तर मध्य रेलवे

## रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

बाल्मीकी चौराहा, नवाब यूसुफ रोड, इलाहाबाद. 211001

### अधिसूचना

#### खेलकूद कोटा (खुली भर्ती) के अन्तर्गत भर्ती

रोजगार सूचना सं. एस.क्यू. 2019-20

जारी करने की तिथि : 28/12/2019

दिनांक : 28/12/2019

अंतिम तिथि : 20/01/2020, 23.59 बजे तक

1. उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय में खेलकूद कोटा वर्ष 2019-20 में खुली भर्ती के तहत पे. बैण्ड-1 5200-20200 + ग्रेड पे 1900/2000 और 2400/2800 (7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल-02/03 और 04/05) में भर्ती के लिए नीचे पैरा 02 एवं 04 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम खेलकूद और शैक्षणिक मानक पूरा करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों से नीचे दर्शायें खेलो हेतु ऑलाइन आवेदन आवश्यक रैकिंग के आधार पर भर्ती के लिए जाते हैं।

खेलों के निम्नलिखित क्षेत्र में भर्ती की जानी है:-

A. पे. बैण्ड-1 ₹ 5200-20200 + ग्रेड पे ₹ 1900/2000, 7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 02/03

क्रम. संख्या.	खेल का नाम	पुरुष/ महिला	कोटि सं.	खेलने का विशिष्ट स्थान/ भार वर्ग जिसकी आवश्यकता है	रिक्तियां	क्रम. संख्या.	चैम्पियनशिपों का ब्यौरा	कोटि	ग्रेड पे ₹ 1900/2000 में भर्ती के लिए न्यूनतम खेलकूद उपलब्धियां
1	क्रिकेट	पुरुष	1	बल्लेबाज	01	01	ऑल इंडिया इंटर स्टेट एण्ड प्लेट युप चैम्पियनशिप	सीनियर/यूथ (अन्डर-23) /जूनियर (अन्डर-19)	इलीट युप चैम्पियनशिपों का सेमी फाइनलिस्ट
		महिला	2	विकेट कीपर	01	02	ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैम्पियनशिप	सीनियर/जूनियर (अन्डर-19)	ऑल इंडिया नॉक-आउट स्टेज का सेमी फाइनलिस्ट
			3	ऑफ स्पिनर	01	03	ऑल इंडिया इंटर जोनल चैम्पियनशिप	सीनियर/जूनियर (अन्डर-19)	फाइनलिस्ट
2	कुश्ती	पुरुष	4	92 किग्रा. फ्री स्टाइल	01				
3	मुक्केबाजी	पुरुष	5	फ्लाई वेट (49 to 52 किग्रा.)	01				
4	जिमनास्टिक	पुरुष	6	खिलाड़ी	01				
5	भारोत्तोलन	पुरुष	7	89 किग्रा.	01				
		महिला	8	49 किग्रा.	01				
6	पावर लिफिंग	पुरुष	9	74 किग्रा.	01				
7	बैंड मिन्टन	महिला	10	खिलाड़ी	01				
8	फुटबॉल	पुरुष	11	मिडफील्डर	01				
9	एथेलेटिक्स	पुरुष	12	5000 मीटर	01				
		महिला	13	800 मीटर	01				
10	हाकी	पुरुष	14	डिफेंडर	01				
		महिला	15	डिफेंडर	01				
11	टेबल टेनिस	पुरुष	16	खिलाड़ी	01				
				कुल योग	16				

पे. बैण्ड-1 ₹ 5200-20200... ग्रेड पे रु. 2400/2800, 7वे सी.पी.सी० के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल-04/05

क्रम. संख्या.	खेल का नाम	पुरुष/ महिला	कोटि सं.	खेलने का विशिष्ट स्थान/ भार वर्ग जिसकी आवश्यकता है	रिक्तियां	क्र. सं.	खेल का नाम	कोटि	मान्यता प्राप्त जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का विवरण
							ऐज युप		
1	कुश्ती	पुरुष	17	55 किग्रा. ग्रीको रोमन	01	1	एथेलेटिक्स	पुरुष/महिला	अन्डर-20
2	जिमनास्टिक	पुरुष	18	खिलाड़ी	01	2	बैंडमिन्टन	पुरुष/महिला	अन्डर-19
3	भारोत्तोलन	पुरुष	19	61 किग्रा.	01	3	मुक्केबाजी	पुरुष	17-18 वर्ष
4	एथेलेटिक्स	पुरुष	20	भाला फेंक	01				अन्डर-23
5	हाकी	महिला	21	फॉरवर्ड	01				अन्डर-19
				कुल योग	05				

नोट:- अभ्यर्थी अपना आवेदन <http://www.rrcald.org> पर ऑनलाइन के माध्यम से भरें। एक से अधिक कोटियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन भरते समय सम्बन्धित कोटियों को भरें/टिक करें। प्रत्येक कोटि के अलग-अलग परीक्षा शुल्क देना होगा।

#### 2. भर्ती के लिए खेलकूद मानक:-

खेलकूद कोटा के तहत खुले विज्ञापन के माध्यम से खिलाड़ियों की भर्ती के न्यूनतम खेलकूद मानक टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में निम्नवत है:-

A. पे. बैण्ड-1 ₹ 5200-20200 + ग्रेड पे ₹ 1900/2000, 7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 02/03 के लिए।

a) नीचे पैरा 2.1 कोटि -ब में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार- किसी भी स्पर्धा/प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा

b) नीचे पैरा 2.1 कोटि -स में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार- किसी भी प्रतियोगिता/स्पर्धा में कम-से-कम तीसरा स्थान हासिल किया हो अथवा

c) सीनियर/यूथ/जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम-से-कम तीसरा स्थान हासिल किया हो अथवा

d) भारतीय ओलम्पिक संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम-से-कम तीसरा स्थान हासिल किया हो अथवा

e) भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय अन्तर्र विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में कम-से-कम तीसरा स्थान हासिल किया हो अथवा

f) फेडरेशन कप प्रतियोगिता (सीनियर वर्ग) में पहला स्थान हासिल किया हो।

B. पे. बैण्ड-1 ₹ 5200-20200 + ग्रेड पे ₹ 2400/2800, 7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 04/05 लिए।

a) ओलम्पिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो (कोटि-अ) अथवा

b) नीचे पैरा 2.1 कोटि -ब में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार किसी भी प्रतियोगिता/स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया हो।

2.1 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का कोटि निर्धारण :-

कोटि-अ : ओलम्पिक खेल (सीनियर वर्ग) अथवा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल

कोटि-ब : विश्व कप (जूनियर/सीनियर वर्ग)

: एशियन चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर वर्ग)

: राष्ट्रमण्डल खेल (सीनियर वर्ग)

कोटि-स : राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर वर्ग)

: एशियन चैम्पियनशिप / एशिया कप (जूनियर/सीनियर वर्ग)

: दक्षिण एशियन फेडरेशन (सैफ) खेल (सीनियर वर्ग) यू.एस.आई.सी. (विश्व रेलवे)

: चैम्पियनशिप (सीनियर वर्ग)

2.2 एथेलेटिक्स (पुरुष/महिला):- एथेलेटिक्स में नेशनल इंटर इथेलेटिक्स सीनियर एथेलेटिक्स चैम्पियनशिपों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी ग्रेड पे ₹ 1900/2000 वाले पदों पर भर्ती के लिए भी विचार किया जायेगा।

शेष पृष्ठ ..... पर  ड.) अनुसूचित जाति,/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उमीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु) अपलोड करना होगा।  च) चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुविधानुसार /आवश्यकतानुसार कहीं भी एवं किसी भी पद पर पद स्थापित किया जा सकता है।  छ) अभ्यर्थी को आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् अल्प अवधि की सूचना पर परीक्षण के लिए तैयार रहना होगा।  ज) चयनित उमीदवार की यदि लिपिक कम टाइपिस्ट वर्ग में नियुक्ति की जाती है तो उसे 04 वर्ष के अन्दर टाइपराइटर पर हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि 04 वर्ष के अन्दर टंकंक परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उसकी नियुक्ति जब तक टंकंक परीक्षा पास नहीं कर लेता तबतक प्रोविजनल मानी जायेगी और उन्हें कोई प्रमोशन/ इंग्रीमेंट नहीं दिया जायेगा।  झ) पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित उमीदवार को रेलवे प्रशासन द्वारा ली जाने वाली अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।  ज) भर्ती के लिए किसी भी प्रकार के सिफारिश करने / कराने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।  **8. सेवारत उमीदवार :-**  सेवारत रेलवे कर्मचारियों और रेलवे संगठन के अर्ध शासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी/उमीदवारों को अपने कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र (NOC) अपलोड करना होगा।  **9. परीक्षा शुल्क :-**  9.1 नीचे पैरा 9.2 मे दर्शाये गये उमीदवारों को छोड़ कर सभी उमीदवारों को ₹ 500/- (रु पॉव सौ कैवल) परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षण (Trial) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थीयों को परीक्षा-शुल्क ₹ 400/- वापसी किया जाएगा।  9.2 अ. जा./अ. जा./भूतपूर्व सैनिक/विकलांग / महिला / अल्पसंख्यक / अर्थिक पिछड़ा वर्ग को . 250/- (रु दो सौ पचास कैवल) परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षण (Trial) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थीयों को परीक्षा शुल्क ₹ 250/- वापसी किया जाएगा।  9.3 अर्थिक रुप से पिछड़े उमीदवार वह है जिनकी वार्षिक आय रु0 50000.00 से कम है। ऐसे उमीदवारों को आय प्रमाण पत्र परिशिष्ट-'ग' मे अपलोड करना होगा।  9.4 परीक्षा शुल्क किसी भी दश में लौटाया नहीं जायेगा। (पैरा 9.2 मे दर्शाये गये उमीदवारों को छोड़ कर) परीक्षा शुल्क कैवल ऑनलाइन माध्यम से जैसे इन्टरनेट बैंकिंग / डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही जमा होगा। जिसका प्रोसेसिंग चार्ज भी अभ्यर्थी को वहन करना होगा। जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा न किया होगा, उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।  **10. आवेदन कैसे करें:-**  10.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट <http://www.rrcald.org> पर भरे। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उमीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा भरी गयी सारी सूचना सत्य है।  10.2 उमीदवार आवेदन पत्र में माँगी गयी सूचना, बायोडाटा एवं परीक्षा शुल्क आदि से सम्बन्धित सभी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से ध्यान से भरें।  नोट 1:- उमीदवार अपने नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि सूचना अपने दिये गये मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार सही-सही भरें। दस्तावेज सत्यापन के समय भिन्नता पाये जाने पर उसकी उमीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम बदला हो तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय गेटें नोटिफिकेशन या न्यायिक प्रपत्र इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपना बदला हुआ नाम अंकित करेंगे तथा अन्य जानकारियां मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार नोट 2:- अभ्यर्थी अपना ₹ 500/- में एवं मोबाइल नम्बर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंकित करें तथा इसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक चालू रखें। उमीदवारों को महत्वपूर्ण सूचना ₹ 500/- में एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से समय-समय पर भेजी जाती रहेगी और माना जायेगा कि अभ्यर्थीयों ने इसे पढ़ लिया है।  10.3. परीक्षा शुल्क ₹. 500/- (पैरा 9.2 मे दर्शाये गये उमीदवारों को परीक्षा शुल्क ₹. 250/- (प्रोसेसिंग चार्ज अलग से) ऑनलाइन माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग, डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करे। परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय समस्त आवध्यक जानकारियां संबंधित कॉलम में सही-सही भरना होगा।  10.4 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हाल का बना हुआ रंगीन फोटो साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/ श्वेत फोटो मात्र नहीं होगा) JPEG फारमैट में 20 kb से 30 kb का स्कैन करके अपलोड करें।  10.5 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमैट में 10 kb से 15 kb का स्कैन करके अपलोड करें।  नोट:- अभ्यर्थी का स्पष्ट सामने का दृश्य का रंगीन फोटोग्राफ साइज 3.5 cm x 3.5 cm (इस सूचना के जारी होने से तीन माह से ज्यादा पुराना न हो) JPEG फारमैट में 20 kb से 30 kb बिना, काला/धूप का चश्मा/कैप के अपलोड होना चाहिए। ऐसे उमीदवार जिन्होंने अस्पष्ट फोटो, पुरानी फोटो, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किया हुआ हस्ताक्षर या आवेदन पत्र में अपलोड किया हुए फोटो एवं उमीदवार में भिन्नता पाये जाने पर उसकी उमीदवारी किसी भी समय निरस्त कर दी जायेगी। उमीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने प्रवेश पत्र के साथ एक पहचान पत्र एवं दो फोटोग्राफ, जो आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया हो, परीक्षा के समय साथ में लायें।  10.6 ऑनलाइन फॉर्म भरने के उपरान्त प्रयेक अभ्यर्थी को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया जायेगा। कृपया उसे सम्भाल कर रखें इसी के माध्यम से आगे कोई भी सूचना का अदान प्रदान आरा 0 आरा 0 सी0, इलाहाबाद के द्वारा किया जायेगा।  नोट 1:- ऐसे आनलाइन आवेदन पत्र जिसमें आवश्यक कॉलम नहीं भरा गया हो, अपूर्ण हो, हस्ताक्षर न किया हो अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर, किया गया हो, फोटो न अपलोड हो, परीक्षा शुल्क न जमा हो, उन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।  नोट 2:- यदि उमीदवार का आवेदन पत्र किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया हो तो निरस्तता का कारण रेल भर्ती प्रक्रिया के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निरस्तता की सूचना अभ्यर्थी को डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अंकित रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ₹ 500/- में एवं ₹ 50/- मेल एलर्ट भेजा जायेगा।  नोट 3:- उमीदवार को सलाह दी जाती है कि बिना अन्तिम दिन का इन्तजार किये आवेदन पत्र सही समय पर भर दें क्योंकि अन्तिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोड पड़ने अथवा इन्टरनेट बन्द अथवा तकनीकी खराबी आने पर आवेदन पत्र भरने में कठिनाई आ सकती है।  नोट 4:- यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अन्तिम समय से पहले नहीं भर पाया तो इसकी जिम्मेदारी रेल भर्ती प्रक्रिया की नहीं होगी।  11. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा-  a) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की प्रति।  b) जन्म तिथि के प्रमाण में प्रमाण-पत्र की प्रति।  c) सम्बन्धित फेडरेशन/ एसोसिएशन/बोर्ड द्वारा जारी खेल-कूद योग्यताओं / उपलब्धियों से संबंधित प्रमाण-पत्र की प्रति।  d) अनुसूचित जाति/जनजाति के उमीदवार को देय छूट तथा शारीरिक परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन के लिए नि-शुल्क यात्रा सुविधा (द्वितीय श्रेणी का रेलवे पास) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'क' के प्रारूप अपलोड करना होगा। रिजर्वेशन प्राप्त करते समय अथवा यात्रा करते समय रिजर्वेशन क्लर्क तथा टिकट चेकिंग स्टाफ को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का मूल्य प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।  नोट:- उमीदवार को किसी भी प्रकार की प्रिंट आउट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य की छायाप्रति रेल भर्ती प्रक्रिया को भेजने की जरूरत नहीं है।	12. अस्वीकृत आवेदन पत्र:- कृपया अभ्यर्थी सभी सूचनाओं को पढ़ कर ही अपना ऑनलाइन आवेदन भरें। अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निम्नलिखित किन्हीं एक या अधिक कारणों से निरस्त कर दिया जायेगा। यदि उमीदवार का आवेदन पत्र किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया हो तो निरस्तता का कारण आर0आर0सी के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निरस्तता की सूचना अभ्यर्थी को डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अंकित रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ₹ 500/- में एवं ₹ 50/- मेल एलर्ट भेजा जायेगा।  12.1 आवेदन पत्र हस्ताक्षर न करना अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में करना।  12.2 आवेदन बिना रंगीन फोटो का होना, कैप के साथ फोटो/धूप का चश्मा लगा फोटो/अस्पष्ट/स्कैन किया हुआ/छायाप्रति का फोटो होना।  12.3 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक/खेलकूद योग्यता न रखने वाले उमीदवार।  12.4 अधिक आयु या अल्प आय वाले उमीदवार, आवेदन में जन्मतिथि का न भरा होना या गलत भरा होना।  12.5 उमीदवार का नाम निश्चयित (डीवरर्ड) सूची में होना।  12.6 बिना निर्धारित परीक्षा शुल्क वाले आवेदन।  12.7 अन्य अनियमिताएँ पाये जाने पर।  13. प्रोबेशन अवधि:- खेल कूद कोटा के माध्यम से नियुक्ति पाने वाले सभी उमीदवारों की प्रोबेशन अवधि दो वर्ष की होगी।  14. सर्विस बाण्ड:- खेल कूद कोटा के अन्तर्गत भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिए "सर्विस बाण्ड" की अवधि पाँच वर्ष की होगी।  15. विधिक मामले:- इस रोजगार सूचना से संबंधित किसी भी विधिक मामले का निस्तारण इलाहाबाद के विधिक क्षेत्राधिकार में ही किया जायेगा।  **महत्वपूर्ण सूचनाएँ**  1.0 आवेदन से पूर्व योग्यता जांच लें - आवेदन करने से पहले उमीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता है। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को बुलावा उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही होगा। यदि अभ्यर्थी कोई भी गलत या अधूरी सूचना किसी प्रकार की अनियमितता, कमी, त्रुटि पर एवं अपूर्ण सूचना या इस नोटिफिकेशन में वार्तित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो रेल प्रशासन भर्ती प्रक्रिय

<p>शेष पृष्ठ ..... पर</p> <p>संविधान डदादर एवं नागर होली) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति आदेश 1962</p> <p>संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964</p> <p>संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967</p> <p>संविधान (गोव, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति आदेश 1968</p> <p>संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970</p> <p>संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति, /अनुसूचित जन जाति आदेश 1978</p> <p>संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989</p> <p>संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संघोधन) अधिनियम, 1990</p> <p>संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संघोधन) अधिनियम, 1991</p> <p>संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संघोधन) अधिनियम, 1991</p> <p>संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संघोधन) अधिनियम, 1996</p> <p>संविधान (अकवित चित जाति) आदेश (संघोधन) अधिनियम, 2002</p> <p>संविधान (जाति) आदेश (द्वितीय संघोधन) अधिनियम, 2002</p> <p>संविधान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति आदेश (संघोधन) अधिनियम, 2002</p> <p>2. यह उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू है जो एक राज्य संघ क्षेत्र प्रशासन से प्रत्यावर्तित हुए है। यह प्रमाण-पत्र श्री / श्रीमती / कुमारी.....का पिता / माता श्री / श्रीमती निवासी ग्राम/कस्बा.....जिला / संभाग.....-प्रदेश/ संघ क्षेत्र को जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया जो.....जाति / जनजाति से संबंधित है जो.....राज्य संघ क्षेत्र में.....द्वारा जारी दिनांक.....द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के है।</p> <p>3. श्री/श्रीमती / कुमारी और उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा.....जिला / संभाग राज्य / संघ क्षेत्र.....में रहता है।</p> <p>राज्य / संघ क्षेत्र</p> <p>स्थान:.....</p> <p>दिनांक:.....</p> <p>जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।</p> <p>कृपया राष्ट्रपति का विनिर्दिष्ट आदेश उद्धृत करें।</p> <p>जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का आशय वही है जो लोक अभ्यावेदन अधिनियम 1950 के खण्ड 20 का है अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-</p> <p>(1) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिशनर/डिप्टी कलेक्टर/फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिशनर / तालुक मजिस्ट्रेट / एक्जीव्यूटिव मजिस्ट्रेट।</p> <p>(2) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।</p> <p>(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैक के नीचे न हो।</p>	<p>4) क्षेत्र का सब-डिवीजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।</p> <p>5) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य सरकार या केन्द्रीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र।</p> <p>6) प्रषासक / सचिव प्रषासक (लक्ष्मीप.मिनीकॉय और अमनदीव द्वीप)।</p> <p><b>परिषिष्ट - ख</b></p> <p><b>भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप</b></p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .....जिला/मंडल.....ग्राम/शहर.....के निवासी हैं जो .....समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं शक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक..... के संकल्प संख्या..... के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा उनका परिवार सामान्यतया ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....जिला/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/1993” के काठगो.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) कि श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।”</p> <p>दिनांक..... मुहर.....</p> <p>जिलाधिकारी उपायुक्त इत्यादि</p> <p>* प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प में व्यौरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।</p> <p>** समय-समय पर संशोधित।</p> <p><b>टिप्पणी:-</b> यहां प्रयुक्त ‘साधारण निवासी’ का अर्थ वहीं है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में वर्णित है।</p> <p><b>परिषिष्ट - ग</b></p> <p><b>बोर्ड के पत्रांक सं0 ई(ईआरआरबी) / 2009 / 25 / 24 दिनांक 28.10.2009 के पैरा-3 के अनुसार प्रधान पत्र पर जारी किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र प्रारूप</b></p> <p>आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 50,000 से कम हो) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट का प्रारूप</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी का नाम.....</li> <li>2. पिता / पति का नाम .....</li> <li>3. आयु.....</li> <li>4. परिवार की वार्षिक आय..... (शब्दों एवं अंकों में) .....</li> <li>5. निर्गत तिथि.....</li> <li>6. हस्ताक्षर.....</li> </ol> <p>जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर (जारी करने वाले अधिकारी का, नाम)</p>
---	--